उलंघन पत्र Speed Post/Email

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय दूसरी मंजिल, जी°एस°आई° फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट् -विधानसभा, रायपुर -(छ.ग.)-492005, टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595,



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional controller of mines
2nd Floor, GSI FTC, AG office Complex
Post- Vidhan sabha, Raipur (CHG)-492005
Telefax-0771-2282530 / 2285595
Email-ro.raipur@ibm.gov.in

No- CHG/BST/LST-09

खान कोड - 38CHG01002

दिनांक - 08/07/2021

^{प्रेषित} श्री मेघराज खत्त्री

दिपक निवास , संतोषी वार्ड न -21

पोस्ट- जग्दलप्र,

जिला-बस्तर- छत्तीसगढ़-494001

Email- d4deep@gmail.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित आपकी Rajoor Limestone Mine, 0.97 हे. में खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

आपकी खान का नीरिक्षण दिनांक 25/06/2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के नीरिक्षण मे पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule	The following deviations have been found in the mine from approved Scheme of
11(1)	Mining Plan vide letter no- BST/LST/MPLN-1082 Dated 13/04/2017 for the period of 2016-17 to 2020-21.
	(A) Boundary Pillars: It has been found that all the pillars don't have their
	serial/identification numbers. All boundary pillars are not been constructed and maintained as per specification mentioned in MCR 1960.
	(B) Afforestation: There was a proposal given for plantation of 50 no of plants whereas none of the plantation have been planted.
Rule 28	Mines has been remained discontinued for a period exceeding ninety days and notice of temporary discontinuance of work in mines in Form E has not been submitted to the authorised officer so as to reach them within one hundred and twenty days from the date of such temporary discontinuance.
Rule 35	Every holder of a mining lease shall monitor his mining and allied activities as per
(2)	the notified template of star rating in the format prescribed in this behalf by the Indian Bureau of Mines from time to time, and shall submit online its self assessment report before the 1stday of July every year for the previous financial year 2019-20 & 2020-21, But till date star rating of your mines have not submitted.
Rule	Monthly return since April 2021 which shall be submitted before the tenth day of
45(5) (b)	every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same has not been submitted

Rule	Annual return 2019-20 & 2020-21, which shall be submitted before the 1 ST day of
45(5) (c)	July each year for the preceding year in electronic form along with a signed print copy of the same has not been submitted.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7)(c) के अंतर्गत
 - (क) खदान की सारी संक्रियांए बन्द की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर. एन. मिश्र) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि - for Information please By email

- 1 खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खिनकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिट्ल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर